

डीपॉजिट / मा-युजिट

४/२०१८

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामाल में जारी हुए</p>
<p>13/12/18 20/12/2019</p>	<p>वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थित नहीं होने का निर्णय लिया है। पेशी इलतवा हांकर पत्रावली दिनांक 20/12/18 को पेश हो।</p> <p>वकील प्राधरि डायरा वकील प्राधरि ने प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में कां२-कां२ लेने से प्रकाशन नहीं किया है। अतः पुनः PF नोटिस पेश किए, जो प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु वकील प्राधरि को दस्ती जारी हो। पत्रावली दिनांक 20/12/2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">M</p> <p style="text-align: right;">जति. विजय नरैण, वकील</p>	
<p>24/1/2019</p>	<p>पी. आं. सा. बाहर पधारें है। पेशी इलतवा हांकर पत्रावली दिनांक 7/2/2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">S. G. S.</p>	
<p>१/२/२०१९</p>	<p>वकील प्राधरि डायरा वकील प्राधरि ने का प्रा.पत्र प्रस्तुत कर आदि किया कि प्राधरि, रैर-पोडेन्ट/अप्राधरि के नाम जारी नोटिस अखबार में प्रकाशन हेतु अग्रिम लेने का अर्थ अर्थ हुए अप्राधरि के सम्मन नोटिस चस्थावगी करने हेतु तलबी जारी करने का निवेदन किया। अंत पर प्राधरि का अकलोकन किया गया। जिन अप्राधरि/गण की तलबी लेना शेष है, उन अप्राधरि/गण के नाम जारी नोटिस पर अप्राधरि/गण गुजरात व केरल में निवास करने की रिपोर्ट आई है। प्राधरि उनके वर्तमान निवास धरे प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। इस स्थिति में CR 20 CPC के अलावा तमील हेतु अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। वकील प्राधरि द्वारा दिनांक 2/2/2019 को CR 20 R 5 CPC के तहत प्राधरि</p>	

दीपलिट / माच्युलिट

8/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>पत्र प्रस्तुत करने पर अध्यापक/गण के नाम आदी बोर्डिंग प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशित करने की अनुमति दी गई थी। अतः वकील प्रार्थी द्वारा आदेश पारित होने अर्थात् प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशन की अनुमति दिये जाने के 6 माह पश्चात तामिल चस्थान की से करने का निवेदन दिया जो न्यायोचित नहीं है। वकील प्रार्थी द्वारा मात्र प्रकरण को लम्बा करने की गलत से तामिल हेतु आदी आदमी की पालना नहीं की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी फिडबैक के अभाव में शक्ति की अती है। अतः आदेश की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड लाँटाया आदी का पालना प्रभावकी केवल में सुमार दोहर नम्बर से कम हो।</p>	

बदि. विजा कलेक्टर, पाणा